भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

संख्या 16/83/2023-प्रशासन/ई-164362 **दिनांक: /09/2025**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आईसीएमआर के अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के लिए मानदंड।

भारतीय प्रवासी नागरिक (ओसीआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) आईसीएमआर की एक्स्ट्राम्यूरल परियोजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आईसीएमआर की कार्यान्वित एक्स्ट्राम्यूरल परियोजनाओं के दौरान ओसीआई और पीआईओ के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है:

1. भारत में किसी भी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकसित प्रयोगशालाओं/संस्थानों में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत ओसीआई/पीआईओ, किसी भारतीय प्रधान अन्वेषक के सहयोग में प्रधान अन्वेषक (पीआई) के रूप में "भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)" से निधि लेने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
2. प्रस्तावित परियोजना (लगभग 4 वर्ष) को पूरा करने के लिए पीआई (ओसीआई/पीआईओ) के पास भारत में पर्याप्त शेष बची हुई सेवा होनी चाहिए।
3. प्रस्तावित परियोजना के सफल कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए पर्याप्त सेवा के साथ उसी मेजबान संस्थान/प्रयोगशाला से एक भारतीय सह प्रधान अन्वेषक।
4. संगठन के प्रमुख/मेजबान संस्थान/प्रयोगशाला के निदेशक से पृष्ठांकन(पुष्टि) प्रमाण पत्र, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अनुमति सुनिश्चित करेगा।
5. संगठन का प्रमुख/मेजबान संस्थान/प्रयोगशाला का निदेशक पर ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन में प्राप्त शोध निष्कर्षों और पेटेंट की सुरक्षा और संवेदनशीलता को बनाए रखने की जिम्मेदारी है।
6. परियोजना के लिए सभी स्वीकृत अनुदान सहायता का उपयोग भारत में ही करना होगा।
7. आईसीएमआर बिना किसी सूचना के किसी भी समय ऐसी परियोजना/परियोजनाओं को समाप्त करने या बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. उपर्युक्त नियम और शर्तें जारी होने की तारीख से लागू होंगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

जयबीर सिंह
सहायक महानिदेशक(प्रशा.)

प्रतिलिपिः

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उपमहानिदेशक(प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. परिषद के सभी संस्थान/केंद्र के निदेशक/प्रभारी निदेशक
3. सभी मंडल प्रमुख, परिषद मुख्यालय
4. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहा.महानिदेशक(प्रशा)/वरि.प्रशासन अधिकारी (प्रशा.),परिषद मुख्यालय
5. डॉ. एम.एस चाल्गा, वैज्ञानिक-डी, परिषद वेबसाइट पर अपलोड करें